

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या- उ0सं0नि0-26/2003- विभागीय अधिसूचना संख्या 62 दिनांक-
17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता परिषद के संरक्षण एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8 (बी) में उल्लिखित संस्थाओं को आलोक में लिया गया है, के क्रम में शेखपुरा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1. जिला समाहर्ता - अध्यक्ष
 2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य सचिव
- (क) जिला में संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि
3. जिला के निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य - सदस्य
 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य - सदस्य
- (ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि
5. उप विकास अधिकारी - सदस्य
 6. जिला शल्य चिकित्सक - सदस्य
 7. जिला कल्याण पदाधिकारी - सदस्य
 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य
 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम - सदस्य
 10. अध्यक्ष, जिला परिषद - सदस्य
 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी दूरदर्शन - सदस्य
- (ग) महिला प्रतिनिधि
12. श्रीमती अलका कुमारी - सदस्य
पति-श्री चुनचुन कुमार,
ग्राम-खोजागाछी, पंचायत- सागसखुर्द,
प्रखंड- बरबीघा, जिला- शेखपुरा।
मोबाईल नं0- 8809408469
 13. श्रीमती बाबी देवी, - सदस्य
पति-स्व0 मनोज कुमार सिंह,
ग्राम-धरसेनी, पंचायत- कुन्नुँदा,
प्रखंड- बरबीघा, जिला- शेखपुरा।
मोबाईल नं0- 9162823841
- (घ) स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि
14. श्री यजित कुमार सिन्हा(सचिव), - सदस्य
टैगोर सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास-सह-
परिवार नियोजन संस्थान,
पिता- श्री यमुना लाल,
कमिशनरी बाजार,
पो0-थाना- शेखपुरा,
जिला- शेखपुरा।
मोबाईल नं0- 9431251368

15. श्रीमती नविता शर्मा, (सचिव) — सदस्य
जनप्रिया विकास फाउंडेशन(शेखपुरा),
पति—स्व० रणजीत शर्मा,
ग्राम—बिहटा, पो०— मदन्ना,
जिला— शेखपुरा।।
16. श्रीमती निर्मला कुमारी, (सचिव) — सदस्य
राघो सेवा संस्थान,
राघो सेवा संस्थान,
चांदनी चौक, जिला— शेखपुरा।
17. श्रीमती मधुदेवी (सचिव), — सदस्य
पिछड़ा दलित कल्याण केन्द्र, शेखपुरा,
कमिश्नरी बाजार, पो०+जिला— शेखपुरा।
मोबाईल नं०—9431454508

(ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि

18. श्री कृष्ण कुमार, — सदस्य
पिता— स्व० हरंगी सिंह,
ग्राम+पो०—नीमी, जिला— शेखपुरा।
पिन कोड—811103
मोबाईल नं०— 9162098662
19. श्री संजय कुमार, — सदस्य
पिता—श्री राधे प्रसाद,
मो०— लालबाग,वार्ड नं०—15,
पो०+ जिला—शेखपुरा।
मोबाईल नं०—9525475732
20. श्री अनिल कुमार, — सदस्य
पे०—श्री शिशु प्रसाद,
मो०— लालबाग,वार्ड नं०—15,
पो०+ जिला—शेखपुरा।
मोबाईल नं०—9431874141
21. श्रीमती शोभा कुमारी, — सदस्य
पति— श्री राधे शर्मा,
ग्राम+पो०—नीमी, जिला— शेखपुरा।
पिन कोड—811103
मोबाईल नं०— 9162098620

(च) उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति

22. श्री सुबोध कुमार, — सदस्य
पिता—जय नारायण सिंह,
ग्राम+पो०— कुसेढी,
जिला— शेखपुरा (बिहार),
मोबाईल नं०— 8986111121
23. श्री भानु उदय प्रसाद, — सदस्य
पिता—स्व० गोपाल कृष्ण प्रसाद,
मो०—महुफसौना,


- पो०+थाना- शेखपुरा,
जिला- शेखपुरा।
मोबाईल नं०-9199683122
24. श्री चन्द्र मौलेश्वर प्रसाद, - सदस्य
पिता- श्री शिवनारायण प्रसाद,
ग्राम-लोदीपुर, पो०- ढेवसा,
थाना+जिला- शेखपुरा।
मोबाईल नं०-8051675570
25. श्री कुमार कमल किशोर, - सदस्य
पिता- स्व० देवकी नन्दन प्रसाद,
ग्राम+पो०-हुसैनाबाद, थाना-अरियरी,
जिला- शेखपुरा।
मोबाईल नं०- 9570877701

(2) शर्त :-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 3 वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य हैं, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य इस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुर्नगठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित-2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारी का अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष- 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।

- (3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधरा अंक में प्रकाशित करायी जाए तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डीयल आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रकाश कुमार) 15
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003 7068 दिनांक :- 03/09/15
प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबन्धित जिलाधिकारी/संबन्धित उप विकास आयुक्त/संबन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/ माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/ निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. समाहर्ता, शेखपुरा से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003 7068 दिनांक :- 03/09/15
प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003 7068 दिनांक :- 03/09/15
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी०डी० संलग्न)
अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक